



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062021-227371
CG-DL-E-03062021-227371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1994]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 2021/ज्येष्ठ 13, 1943

No. 1994]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 2021/JYAISTHA 13, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

का.आ. 2151(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, जिला प्रशासनिक केंद्र, मंगन, उत्तर सिक्किम (No Yet to be Assigned) के कि.मी 95.5 से 97 के तक सिक्किम राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-310 A पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व अधिकारी- सह- सहायक निदेशक	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH310A के कि.मी. 95.5 से 97 तक	सिक्किम	नार्थ डिस्ट्रिक्ट	चुंगथांग	1 चुंगथांग

[फा. सं. 0759]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2021

S.O. 2151(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 95.5 to 97 of District Administrative Centre, Mangan, North Sikkim (No Yet to be Assigned) in the State of SIKKIM.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 310A in the State of SIKKIM.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Revenue Officer-cum-Assistant Director	95.5KM To 97KM	SIKKIM	NORTH DISTRICT	Chungthang	1 Chungthang

[F. No. 0759]

RAJESH GUPTA, Director